



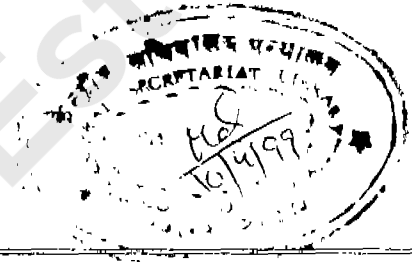
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 849]

No. 849]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1998/पौष 8, 1920

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1998/PAUSA 8, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1122(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा समुद्रों, खादियों, मुहानों, निवेशिकाओं, नदियों और पश्चजलों के कतिपय तटीय भागों को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त तटीय विनियमन परिक्षेत्र में उद्योगों, संक्रियाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना और विस्तार करने पर निर्बन्धन अधिशोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उक्त अधिसूचना में यथाअधिकथित उच्च प्जार रेखा के सीमांकन पर विचार-विमर्श किया है और उसके लिए प्रक्रिया सरल करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

पैरा 1 के उप पैरा (3) में "इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उच्च प्जार रेखा से अभिप्रेत है भूमि संबंधी वह रेखा जिस तक वृहत् प्जार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है और जिसका

सीमांकन भारत के महासर्वेक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सीमांकन प्राधिकारी द्वारा देश के सभी भागों में समान रूप से किया जाएगा।", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उच्च प्जार रेखा से अभिप्रेत है भूमि संबंधी वह रेखा जिस तक वृहत् प्जार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है। उच्च प्जार रेखा का सीमांकन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाप्राधिकृत प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा देश के सभी भागों में इस संबंध में जारी किए साधारण दिशानिर्देशों के अनुसार समान रूप से किया जाएगा।"

[सं. जेड-17011/8/92-आई. ए.-III]

के. राय पाल, अतिरिक्त सचिव

टिप्पणी :— मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्या का. आ. 114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी और तदुपरान्त :—

- (i) का. आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
 - (ii) का. आ. 73(अ), दिनांक 31 जुलाई, 1997
 - (iii) का. आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
 - (iv) का. आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
 - (v) का. आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- के द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1998

S. O. 1122(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S O. 114(E), dated 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain coastal stretches of seas, bays, estuaries, creeks, rivers and backwaters as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations or processes, in the said Coastal Regulation Zone;

And whereas, the Central Government, in the Ministry of Environment and Forests, has deliberated upon and decided to simplify the procedure for demarcation of the High Tide Line as laid down in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

In paragraph 1, sub-paragraph (3), for the words "For the purposes of this notification, the High Tide Line means the line on the land upto which the highest water

line reaches during the spring tide and shall be demarcated uniformly in all parts of the country by the demarcating authority so authorised by the Central Government in consultation with the Surveyor General of India.", the following shall be substituted, namely:—

"For the purposes of this notification, the High Tide Line means the line on the land up to which the highest water line reaches during the spring tide. The High Tide Line shall be demarcated uniformly in all parts of the country by the demarcating authority or authorities so authorised by the Central Government, in accordance with the general guidelines issued in this regard."

[No. Z-17011/8/92-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide Number S.O. 114(E) dated 19th February, 1991 and subsequently amended vide:—

- (i) S.O. 595(E) dated 18th August, 1994.
- (ii) S.O. 73(E) dated 31st January, 1997
- (iii) S.O. 494(E) dated 9th July, 1997.
- (iv) S.O. 334(E) dated 20th April, 1998.
- (v) S.O. 873(E) dated 30th September, 1998.